न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : निगरानी/टीए/2181/2004/बीकानेर

चूनाराम पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम भलूरी तहसील उपनिपवेशन कोलायत संख्या 1 जिला बीकानेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. दूलाराम पुत्र भोजाराम जाति ब्राहमण निवासी भाणेका गांव उपनिवेशन तहसील कोलायत संख्या 1 जिला बीकानेर

2. अनुराधा पत्नि गजानंद उपाध्याय निवासी गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर

3. वासुदेव पुत्र गजानन्द जाति उपाध्याय निवासी गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर

4. राजस्थान सरकार

.....अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री जे.के.पुरोहित, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री बद्रीप्रसाद, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 26–12–2019

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 23 (2) इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में (राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–04–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सहायक उपनिवेशन आयुक्त कोलायत के आदेश दिनांक 02–02–1984 के द्वारा 10 एएम के मुरब्बा नम्बर 33/16 में किता नम्बर 4 ता 8, 12 ता 14, 18 ता 20 कुल 11 बीघा कमाण्ड तथा मुरब्बा संख्या 33/48 किला नम्बर 1 ता 14 की 14 बीघा अनकमाण्ड भूमि का अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन किया गया। उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 20–04–2004 द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस निगरानी पर सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि मामले में अधीनस्थ न्यायालयों ने एकपक्षीय कार्यवाही की है। आगे बताया कि प्रार्थी प्रश्नगत रकबे का गैरखातेदार है और उसकी भूमि आवंटन के योग्य नहीं थी। उनका कथन है कि उनके द्वारा आलोच्य आवंटन को निरस्त करने का अनुतोष नहीं चाहा गया है वरन् मामले में निष्पादित नामान्तरकरण को निरस्त किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। उनका तर्क है कि प्रश्नगत रकबा प्रार्थी की गैरखातेदारी व कब्जेकाश्त का होनें के कारण्ण आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी। यहीं नहीं आवंटन अधिकारी ने आवंटन से पूर्व नियम 8 की पालना सुनिश्चित नहीं की है। उक्त नियमों के तहत सिवायचक भूमि की सूची बनाया जाना प्रावधित है। इस प्रकार मामले में प्रार्थी की भूमि पर गैरकानूनी तरीके से आवंटन कर दिया गया, जो कि अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय को अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत निगरानी का घोर विरोध करते हुए कहा है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय तर्कसंगत, न्यायसंगत एवं विधि सम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप करने के ठोस आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। फलस्वरूप आक्षेपित निर्णय अहस्तक्षेपनीय होकर यथावत रखे जाने योग्य है। उनका मुख्य कथन है कि प्रश्नगत रकबे का अप्रार्थीगण के पक्ष में नियमानुसार आवंटन हुआ है तथा आवंटन नियमों की अशरक्ष पालना की गई है तथा प्रार्थी को उक्त कार्यवाही में उसका पक्ष सुना गया है। उनका तर्क है कि मामले में आवंटन अधिकारी ने संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की है तथा रिपोर्ट में किए गए अंकन के अनुसार प्रश्नगत रकबा आवंटन के लिए उपयुक्त था। इसी कारण प्रश्नगत रकबे का उनके पक्ष में नियमानुसार आवंटन किया गया है, जिसमें किसी विधि का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण ऐसे निर्णय के विरूद्ध निगरानी के माध्यम से प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अन्त में उन्होंने निगरानी निरस्त कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 2016 आरएलडब्ल्यू 1388 व 2015 आरएलडब्ल्यू 768 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए।

6. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गंभीरता से मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन एवं अध्ययन किया।

7. प्रश्नगत प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अप्रार्थीगण के पक्ष में आदेश दिनांक 02-02-1984 के द्वारा प्रश्नगत रकबे बाबत किया गया आवंटन विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित है अथवा नहीं? हमारे द्वारा उपलब्ध समस्त रेकार्ड का विधि के दृष्टि से परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार यह स्पष्ट होता है कि मामले में आवंटन की कार्यवाही सम्पादित किए जाने से पूर्व मौके की रिपोर्ट तलब की गई है। उपलब्ध

मौका रिपोर्ट दिनांक 24-07-2001 के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थी का एक अन्य वाद चूनाराम बनाम सालूराम वगैरहा सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर के समक्ष लम्बित चला आ रहा है और उक्त रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन है कि प्रश्नगत रकबा आराजी संख्या 33/16 का दुलाराम के पक्ष में आवंटन किया गया है। उक्त रिपोर्ट को एक जिम्मेदार राज्यसेवक द्वारा निर्मित्त किया गया है तथा इसके अतिरिक्त उक्त रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण राजकीय अभिलेख है। जिसको इसको अन्यथा सिद्ध करनें बाबत किसी प्रकार की प्रलेखीय साक्ष्य हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। हमारे द्वारा आवंटन के समस्त दस्तावेज तथा अपीलीय न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली का विश्लेषण करने के उपरान्त हम पाते है कि आलोच्य आवंटन एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में किसी विधि का उल्लंघन होना अथवा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया जाना नहीं पाया जाता है। तदनुसार मामले में आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण ऐसे निर्णय के विरूद्ध पेश निगरानी सारहीन होना प्रकट होती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि प्रार्थी ने निगरानी मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

8. परिणामतः निगरानी सारहीन/बलहीन पायी जाने के कारण खारिज की जाती है तथा अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-04-2004 कों यथावत बहाल रखा जाता है। न्यायहित में प्रार्थी प्रश्नगत रकबे बाबत घोषणा का वाद पेश कर जरिये चाराजोही वांछित अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। इस हेतु मियाद का बिन्दु अप्रभावी माना जायेगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य